राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

एफ21(15) ग्रा.वि. / नरेगा / 2009–10 जयपुर, दिनांक **23 SEP 2010**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (सिवाय हनुमानगढ एवं जोधपुर)

विषय :– वर्ष 2009–10 की सनदी लेखाकार की रिपोर्ट बाबत।
संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 25.6.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखों का अंकेक्षण कर रिपोर्ट मय आवश्यक प्रपत्रो के 15.9.10 तक विभाग को प्रेषित करने बाबत संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया था जो अभी तक अपेक्षित हैं। अतः पुनः लेख है कि अपेक्षित संनदी लेखाकार की रिपोर्ट विभाग को 30.9.10 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावे। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रिपोर्ट भारत सरकार की अधिकृत वैब साइट www.nerga.nic.in में दिये गये प्रारूप में ही तैयार की जावे एवं वैब साइट पर अपलोड भी की जावे। यदि सनदी लेखाकार की रिपोर्ट के अभाव के कारण भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आगामी निधियां जारी नहीं की जाती है तो इसके लिए आपका जिला उत्तरदायी होगा।

भवदीय

मुख्य लेखाधिकारी ईजीएस

प्रतिलिपि :– निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –
1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान (सिवाय हनुमानगढ एव जोधपुर)
2. परियोजना अधिकारी लेखा समस्त जिला परिषद (सिवाय हनुमानगढ एव जोधपुर)

मुख्य लेखाधिकारी ईजीएस